भाकृअप-राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो
पूसा परिसर, नई दिल्ली -110012

फा.सं. राभा 1(1)/2022-हिंदी   दिनांक: 27 अक्टूबर, 2022

परिपत्र

विषय : निदेशक, एनबीपीजीआर की अध्यक्षता में संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 12 अगस्त, 2022 को सम्पन्न हुई बैठक में लिए गए निर्णय के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कृपया दिनांक 9 सितंबर, 2022 को जारी कार्यवृत्त का अवलोकन करें, जिसके माध्यम से एनबीपीजीआर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक में लिए गए निम्नलिखित निर्णयों पर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया था, जो इस प्रकार हैं:-

- धारा 3(3) के अंतर्गत जारी समस्त कागजात अनिवार्यतः द्विभाषी रूप में जारी किए जाएं।
- प्रत्येक तिमाही के उपरांत सभी अनुभाग/ प्रभाग अपनी हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में स्थाई रूप से तिमाही की समाप्ति के 10 दिनों के अन्दर हिंदी अनुभाग को भेजना सुनिश्चित करें। जिससे कि संस्थान की हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट समयानुसार राजभाषा विभाग, भारत सरकार को प्रेषित की जा सके।
- प्रत्येक अनुभाग/ प्रभाग अपने हिंदी के कार्यों के संबंध में एक नोडल अधिकारी निर्धारित करें और इस संबंध में हिंदी अनुभाग को सूचित भी करें, साथ ही हिंदी तिमाही प्रगति रिपोर्ट को उपयुक्त रूप से भरने के लिए नोडल अधिकारी को निर्देशित भी करें। जिससे कि प्रत्येक अनुभाग से हिंदी प्रगति की त्रुटिरहित वास्तविक रिपोर्ट प्राप्त की जा सके।
- प्रत्येक अनुभाग/प्रभाग यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक तिमाही में हिंदी के उपयोग में प्रगति हो अर्थात पिछली तिमाही से वर्तमान तिमाही के दौरान हिंदी के कार्यों के प्रतिशत में वृद्धि दर्ज की जाए तथा वार्षिक कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।
- सभी अनुभाग/ प्रभाग प्रमुख प्रत्येक तिमाही के दौरान संस्थान में आयोजित होने वाले हिंदी कार्यशाला में सभी संबंधित कार्मिकों को अनिवार्य रूप से भाग लेने के लिए नामित करना सुनिश्चित करें। जिससे कि सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के निर्धारित लक्ष्य को सहजता से प्राप्त किया जा सके।

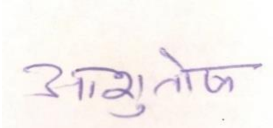

(आशुतोष कुमार)
उप निदेशक (राभा)
सदस्य सचिव, राजभाषा कार्यान्वयन समिति